GAD-RTI/RTI/5/2023-XXXI-A-1-General Administration Department

/166433/2023

207

संख्याः 1662 /XXXI(15)G/23-49(सा0)/2020

प्रेषक

विनोद कुमार सुमन,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
संख्या 12985
14 NOV 2023
देहरादून

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग   देहरादूनः   दिनांक ~~अक्टूबर~~ 03 नवम्बर 2023।

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों के द्वारा अभिलेखों के स्वः प्रकटीकरण एवं विभागीय वेबसाइट पर मैनुअल को अद्यावधिक किये जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:582/XXXi(15)G/22-49(सा0)/2020, 17 मई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 बिन्दु के मैनुअलों का प्रतिवर्ष 30 जून तक वार्षिक अद्यावधिकरण किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2),4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को जनसामांन्य की पहुंच तक सहज बनाने हेतु अपने—अपने नियंत्रणाधीन विभागों में वेबसाइट पर सूचनाऐं अद्यतन कराते हुए मैनुअलों की हॉर्ड एवं सॉफ्ट प्रतियाँ प्रत्येक दशा में 15 जुलाई 2022 तक उत्तराखण्ड सूचना आयोग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा गयी है।

2— उल्लेखनीय है कि रिट पिटीशन (PIL) 360/2021, किशन चन्द्र जैन बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग और समस्त राज्य सूचना आयोगों को अधिनियम की धारा 25(5) के तहत समस्त लोक प्राधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का अनुपालन करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रलाय भारत सरकार के अभिलेखों का रखरखाव एवं उनके स्वःप्रकटन से संबंधित कार्यालय ज्ञाप सं0 1/6/2011—आई0आर0 दिनांक 07.11.2019 के अनुरूप विभागीय वेबसाइट पर अधिक से अधिक सूचना का प्रकटीकरण और विभागीय मैनुअल को दिनांक 31.12.2023 अद्यावधिक करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3– अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 एवं भारत सरकार उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0 1/6/2011–आई0आर0 दिनांक 07.11.2019 के अनुरूप अपने–अपने नियंत्रणाधीन विभागों की वेबसाइट पर अधिक से अधिक सूचना का प्रकटीकरण और विभागीय मैनुअलों को दिनांक 31.12.2023 तक अद्यावधिक कराते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को भी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 03-11-2023 10:03:46

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

संख्याः 1662 XXXI(15)G/23 G/23-49(सा0)/2020तद्दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2023 की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त आदेश में उल्लिखित निर्देशानुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा यदि किसी/किन्ही बिन्दुओं पर शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो तो तद्नुसार प्रस्ताव सुस्पष्ट आख्या सहित अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. **Branch officer, PIL (writ) supreme court of India.** को उनके ई–मेल दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव